

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-2/2009/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2013

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश ।

विषय- दिनांक 16-9-2009 को जारी आदेश निरस्त करने बाबत ।  
संदर्भ- वित्त विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 16-9-2009.

—•—

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 लागू होने के पश्चात् ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व वेतनमान में वेतन पा रहे थे, जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यापक संवर्ग भी शामिल हैं, को मंहगाई भत्ता किस दर से दिया जावे ? का मामला विचाराधीन रहा । अतः तत्कालीन रूप से समस्या के समाधान के लिये वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 4-2/2009/नियम/चार, दिनांक 16-9-2009 को आदेश जारी किये गये थे ।

2/ शासन के ध्यान में आया है कि अभी भी ऐसी संस्थायें हैं जहां चौथा अथवा पाँचवा वेतनमान प्रभावशील है, के द्वारा, मंहगाई भत्ते की गणना करते समय उक्त ओदश को आधार बनाया जा रहा है । चूंकि अब चौथे वेतनमान एवं पाँचवे वेतनमान में मंहगाई भत्ते की गणना के आदेश पृथक से जारी किये जा चुके हैं । अतः अब सन्दर्भित आदेश दिनांक 16-9-2009 की उपयोगिता नहीं रह गई है ।

अतः ज्ञाप क्रमांक एफ 4-2/2009/नियम/चार, दिनांक 16-9-2009 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार




(मिलिन्द वाईकर)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी ) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

  
(सुरेन्द्र नाथ शुक्ल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग